



अमर उजाला

नोटिस की सुनवाई के दौरान फील्ड में जाएंगे डीएम

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में मतदाताओं को जारी नोटिस एवं सुनवाई की समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों की नोटिस की सुनवाई के लिए बनाई गई कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी ली।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी डीएम के साथ की एसआईआर की समीक्षा

मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं, उन्हें समय पर नोटिस प्राप्त हों। सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ईआरओ और एईआरओ की सहायता के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील सहित संबंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। मुख्य निर्वाचन

अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधानसभा क्षेत्रों की फील्ड विजिट कर नियमित समीक्षा करें। बैठक के दौरान यह बताया गया कि सभी जिलों में शत-प्रतिशत नोटिस प्रिंटिंग कर ईआरओ और बीएलओ स्तर पर पहुंचा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुनवाई का कार्य भी शुरू हो गया है।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो





मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001



दैनिक भास्कर

epaper.dainikbhaskarup.com

30 Jul 2026 - DB Dehradun 30 July 20262

खबर एक नजर

फील्ड विजिट करें जिलाधिकारी: सीईओ

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में मतदाताओं को जारी नोटिस एवं सुनवाई के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों की नोटिस की सुनवाई के लिए बनाई गई कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं उन्हें ससमय नोटिस मिल जाएं और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।



मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand



<https://ceo.uk.gov.in>



AnyScanner

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

दैनिक जागरण एसआइआर : नोटिस की सुनवाई को फील्ड में उतरेंगे जिलाधिकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दूसरे चरण में नोटिसों की सुनवाई को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों को स्वयं फील्ड में उतरकर सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदाता को समय पर नोटिस मिले, पर्याप्त अवसर के साथ सुनवाई हो और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से कराया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. पुरुषोत्तम ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसआइआर के संबंध में समीक्षा की। बैठक में उन्होंने एसआइआर अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिलेवार नोटिसों की सुनवाई के लिए तैयार कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी पात्र मतदाता को सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं रखा जाए। नोटिस समय पर उपलब्ध कराए जाएं और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचक



एसआइआर के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा करते मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीबीआरसी पुरुषोत्तम • सूवि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की सहायता के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील तथा अन्य संबंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, ताकि प्रस्तुत दस्तावेजों का शीघ्र और सटीक सत्यापन हो सके। जिलाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सभी जनपदों में जारी किए जाने वाले नोटिसों की शत-प्रतिशत छपाई पूरी कर उन्हें ईआरओ और बीएलओ स्तर तक पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

शाह टाइम्स

नोटिस की सुनवाई के दौरान फील्ड विजिट करें जिलाधिकारी: सीईओ

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण में मतदाताओं को जारी नोटिस एवं सुनवाई के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों की नोटिस की सुनवाई के लिए बनाई गई कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह



सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं उन्हें ससमय नोटिस प्राप्त हो और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों

■ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर की समीक्षा
■ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सम्बंधित विभागों के नोडल करें तैनात

को यह भी निर्देश दिए कि ईआरओ और आईआरओ की सहायता हेतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील सहित सम्बंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। मुख्य

निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधानसभा क्षेत्रों की फील्ड विजिट कर नियमित समीक्षा करें। बैठक के दौरान यह बताया गया कि सभी जनपदों में शतप्रतिशत नोटिस प्रिंटिंग कर ईआरओ और बीएलओ स्तर पर पहुंचा दिए हैं। इसके अतिरिक्त सुनवाई का कार्य भी शुरू हो गया है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।



हिंदुस्तान

लोगों को सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दें

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं, उन्हें सुनवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

उन्होंने ने सभी डीएम को निर्देश दिए कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील सहित संबंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधानसभा क्षेत्रों की फील्ड विजिट कर नियमित समीक्षा करें।





Hindustan Times 100

DMs to review S.I.R progress regularly: CEO

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

DEHRADUN: Chief electoral officer BVR Purushottam on Wednesday ordered district magistrates across the state to conduct regular field visits to review the progress of hearings related to notices issued under the second phase of the Special Intensive Revision (SIR).

During a video conference with district magistrates, the CEO reviewed preparations for the hearings and sought details of action plans drawn up by the districts for the process.

He ordered officials to ensure that voters receive notices on time and were given adequate time to appear for hearings and submit the documents required.

He also instructed DMs to appoint nodal officers from relevant departments, including education, revenue and tehsil-level offices, to assist Electoral Registration Officers (EROs) and Assistant Electoral Registration Officers (AEROs) in the verification of documents.

Officials said that printing of notices was complete across all districts. Hearings on the notices have also begun, they added.

Additional chief electoral officer Vijay Kumar Jogdande, joint/deputy chief electoral officer Kishan Singh Negi, assistant chief electoral officer Mastu Das were also present.

On July 14, the CEO's office published the draft electoral roll, with a total of 71,33,785 electors— of whom 37,23,614 are male, 34,09,954 female and 217 transgender voters. Officials said enumeration forms of 71,33,785 electors, or 89.61% of 79,60,762 voters listed in the original rolls, have been digitised. The remaining 8,26,977 electors (10.39%) fall in the uncollectable or unverified category and will be covered during the notice phase.

The revision exercise has been conducted with July 1, 2026, as the qualifying date. The distribution and digitisation of



BVR Purushottam

enumeration forms were completed between June 8 and July 7. Election Commission has opened the period for filing claims and objections from July 14 to August 13 through Forms 6, 7 and 8. Notices related to claims and objections are being issued and disposed of (between July 14 and September 11), while the final electoral roll will be published on September 15. Officials said although 7,13,785 voters have been included in the draft roll, anomalies of various kinds have been identified in around 19 lakh entries.

The concerned Electoral Registration Officers (EROs) and Assistant Electoral Registration Officers (AEROs) have been directed to issue notices to these voters for verification. To facilitate the process, the Election Department will organise camps at Nyaya Panchayat clusters where notices will be heard. District Election Officers (DEOs) and EROs have also been directed to hold special camps in municipal corporations, municipal councils, nagar panchayats, ward offices and tehsil headquarters, particularly in the plains districts, to help voters resolve issues relating to their electoral records.

Officials said notices will now be issued to electors identified in three categories—those flagged with anomalies, those whose records contain discrepancies and cases arising from claims and objections received through Forms 6, 7 and 8. The notice phase will run from July 14 to September 11, while claims and objections can be filed till August 13. The final electoral roll is scheduled to be published on September 15.



विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

Pioneer

Give adequate time to voters in issuance & hearing of notices under SIR: CEO to DMs

PIONEER NEWS SERVICE ■ Dehradun

The chief electoral officer (CEO) Uttarakhand, BVRC Purushottam has directed the district magistrates (DM) to ensure that the people to whom notices are being issued under the ongoing process of Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the State, should be given proper time to receive them. He said that the voters should also be given adequate time for hearing on the notices.

The CEO held a video conferencing session with all the DMs at the state secretariat on Wednesday in which he reviewed the ongoing process of SIR in the State.

In the meeting the CEO held an in-depth review of the notices issued to voters and the hearings conducted during the second phase of the SIR campaign. He also analysed the action plan developed for the hearings of all districts. The CEO also directed all DMs to designate nodal officers from relevant departments, including education, revenue and tehsil, to assist electoral registration officers (ERO) and assistant electoral registration officers (AEROs) in document verification. He also directed

the DMs to conduct regular field visits to assembly constituencies and conduct reviews of the SIR process.

During the meeting, it was revealed that 100 per cent of notices have been printed and delivered to the ERO and BLO concerned in all districts. The process of hearing on the notices has also begun.

Notably, notices are being issued to about 19 lakh voters in the State under different types of anomaly. The voters need to respond to the notices with necessary documents.



The additional chief electoral officer Vijay Kumar Jogdande, deputy chief electoral officer Kishan Singh Negi, assistant chief electoral officer Mastu Das and DMs of all the districts were present in the meeting.



विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

Garhwal Post

Chief Electoral Officer reviews progress of SIR with DMs



Garhwal Post Bureau

DEHRADUN, 29 Jul: Chief Electoral Officer (CEO) Dr BVR Purushottam today held a video conference with all the district magistrates from across the state to conduct a detailed review of notices issued to voters and hearings under the second phase of the Special Intensive Revision campaign. During the meeting, the CEO examined the action plans prepared in each district for the hearing of the notices and he directed the officials to ensure that voters receiving notices are served them in time and are given adequate opportunity for hearing. He instructed all the DMs to appoint nodal officers from the departments such as education, revenue and tehsil to assist the

Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers in the verification of documents. He further directed that district magistrates should undertake field visits in their assembly constituencies and carry out regular reviews.

It was informed during the meeting that in all the districts, one hundred per cent printing of notices has been completed and the notices have reached the ERO and BLO levels. Hearings have also commenced.

Among those present at the meeting were Additional Chief Electoral Officer Dr Vijay Kumar Jogdande, Deputy Chief Electoral Officer Kishan Singh Negi, Assistant Chief Electoral Officer Mastu Das along with all the district magistrates.





हिंदुस्तान

बीएलओ-एसआईआर की इयूटी से मुक्त करने की मांग

विकासनगर, संवाददाता। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी (बीएलओ, एसआईआर) इयूटी से मुक्त रखने की मांग की है। संघ का कहना है कि अधिकांश विद्यालयों से 70 फीसदी शिक्षकों की बीएलओ और एसआईआर इयूटी लगाई गई है।

इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा। कमजोर विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा और बोर्ड परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी प्रभावित हो

■ राजकीय शिक्षक संघ ने कहा, इयूटी लगाए जाने से पढ़ाई हो रही प्रभावित

सकते हैं। संघ के जिला महामंत्री अर्जुन पंवार ने शासन को ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि जून माह के ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सैकड़ों शिक्षकों ने अपना अवकाश त्यागकर निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने अब अगस्त में शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में इयूटी हटाने की मांग की। कहा कि शिक्षक इयूटी में व्यस्त रहेंगे तो इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी।





मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001



दैनिक भास्कर

epaper.dainikbhaskarup.com

30 Jul 2026 - DB Dehradun 30 July 20264

एसआईआर में गड़बड़ियों का लगाया आरोप

पिरान कलियर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सामने आ रही खामियों और मतदाता सूची से नाम कटने के मामलों को लेकर कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात कर आवश्यक सुधार कराने की मांग उठाई। बुधवार को कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद, काजी निजामुद्दीन, रवि बहादुर और बसपा विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद आदि ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में सामने आ रही खामियों और मैपिंग के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों पर चिंता व्यक्त की। विधायकों ने जिलाधिकारी से मांग की कि मैपिंग के कारण जिन पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, उनकी जांच कर उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया में सामने आ रही सभी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन करते हुए कहा कि मैपिंग से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों (एआरओ) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य त्रुटियों के निस्तारण के लिए संबंधित बीएलओ को भी निर्देशित किया गया है।



मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand



<https://ceo.uk.gov.in>



AnyScanner



दैनिक भास्कर

epaper.dainikbhaskarup.com
30 Jul 2026 - DB Dehradun 30 July 20267

मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा

- 98 हजार से अधिक मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस

भास्कर समाचार सेवा

अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चल रही कार्रवाई की जानकारी साझा की गई।

बैठक में बताया गया कि जनपद की छह विधानसभा क्षेत्रों के कुल 4,71,938 मतदाताओं में से 98,529 मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की विसंगतियों के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें द्वाराहाट में 16,962, सल्ट में 18,668, रानीखेत में 12,020, सोमेश्वर में 14,056, अल्मोड़ा में 19,266 तथा जागेश्वर में 17,557



अल्मोड़ा में राजनैतिक दलों के साथ अपर जिलाधिकारी ने की बैठक।

मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोटिसों की सुनवाई के लिए जनपद के 949 मतदेय स्थलों पर व्यवस्था की गई है तथा 72 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है।

विधानसभा क्षेत्रवार सुनवाई 29 जुलाई से 3 सितंबर तक विभिन्न चरणों में होगी। अब तक 50,478 नोटिस बीएलओ के माध्यम से तामील कराए जा चुके हैं।

जबकि शेष नोटिसों की तामील की प्रक्रिया जारी है। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से

अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पात्र मतदाता निर्धारित तिथि पर आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, ताकि निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

बैठक में कैलाश गुरुरानी, पूरन रौतेला सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह रावत मौजूद रहे।



शाह टाइम्स

विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर दिया प्रशिक्षण

नई टिहरी। जनपद के विधानसभा क्षेत्र 14-धनोल्टी की तहसील कंडीसौड़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत नोटिस निर्गत करने, नोटिस वितरण, सुनवाई प्रक्रिया एवं निर्वाचन सामग्री वितरण से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को द्वितीय चरण की कार्यवाही समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से संपादित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें नोटिसों के सही वितरण, सुनवाई की प्रक्रिया तथा आवश्यक अभिलेखों एवं निर्वाचन सामग्री के सुव्यवस्थित वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद उत्तराखण्ड जोत सिंह बिष्ट, लक्ष्मी यादव, राज. कुमार शर्मा नायब तहसीलदार, बीडीओ स्नेह नेगी आदि संबंधित उपस्थित रहे।

